त्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक

वेकास निगम लिमिटेड

सन्दर्भ संव

Power distribution To

BIC 21-05-12

/एसआईडीसी/आईए/एचओ/

यूपीएसआईडीशी काम्पलेक्स ए-1/व लङ्ग

पोस्ट बाक्स नं0 1050,

कानपुर-208 024

दूरभाष : 2582851-53 फैक्स : (0512) 2580797 वेबसाईट : www.upsidc.com र्ड मेल : feedback@unsidc.com

दिनांक

कार्यालय आदेश

पूर्व में निर्गत आदेशों को एतदृद्वारा अवक्रमित करते हुए निगम के आवंटियों को नियमानुसार दी जाने वाली विमिन्न सुविधाओं में से निन्नलिखित प्रकरणों में प्राप्त आवेदनों का क्षेत्रीय स्तर पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रमाव से अधिकारों का प्रतिनिधायन निम्नवत् किया जाता है:—

3			प्रतिनिधायन रे	
	क्र0 सं0	कार्य की प्रकृति आवंटन से 4 वर्ष तक 500 वर्गमी0 के		
	1.	1)	
S		औद्योगिक एवं एकल आवासीय भूखण्डों के		
		आवंटन के पश्चात् उद्यमी को दी जाने वाली	2	
		सुविधाओं यथा जत्पाद/परियोजना परिवर्तन,		
		हस्तांतरण, पुनर्गठन, आवंटी की मृत्यु के		
		पश्चात् वारिसानों के पक्ष में मूखण्ड का	- 7	
	-	नियमितीकरण, किरायेदारी तथा क्षेत्रफल में 10		
	L Van	प्रतिशत वृद्धि का नियमानुसार नियमितीकरण,	' -	
S.H.T.	<u></u>	देयों का रि-शिड्यूलमेंट।		
-S.Hogen	falc:	औद्योगिक एवं एकल आवासीय मूखण्डों में	क्षेत्रीय प्रवन्धक / परियोजना अधिकारी	
noce		आरक्षण धनराशि के भुगतान तिथि का 30		
Des		दिनों(तीव्र गति), 60 दिनों(धीमी गति) का		
8PG		विस्तारण, जमा धनराशि में रू० 100/- तक		
		की कमी के सम्बन्ध में डिफाल्टर वर्ग से		
		आवंटी को हटाने सम्बन्धी कार्य।	9 · 9	
	3.	किसी भी प्रकृति के भूखण्ड का पट्टाविलेख	क्षेत्रीय प्रबन्धक/पारेयोजना अधिकारी	
		निष्पादन, इक्वीटेबल मार्टगेज, नोटिस, आवंटन		
		का निरस्तीकरण, समर्पण स्वीकार करना, P.P.		
		Act के अन्तर्गत वाद दायर करना तथा अन्य		
		पत्राचार		
	4.	1000 वर्गमी० तक के औद्योगिक एवं एकल	क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी	
		आवासीय भूखण्डों के भवन मानचित्र की	4	
		स्वीकृति।		

ale

5. 10000 वर्गमी० तक क्षेत्रफल के औद्योगिक क्ष	० मिन्द्र विपाल निम्नवर्
🍴 🧸 🖟 १०००० पंचारा तक क्षेत्रफल के आधारिक 🕏	क्षेत्रीय स्तर पर गठित सामात जिसक
भूखण्डों के उत्पाद/परियोजना परिवर्तन, र हस्तांतरण, पुनर्गठन, आवंटी की मृत्यु के 1 पश्चात् वारिसानों के पक्ष में भूखण्ड का 3 नियमितीकरण, किरायेदारी तथा क्षेत्रफल में 2 वृद्धि का नियमानुसार नियमितीकरण, देयों का 3 रि-शिड्यूलमेंट।	सदस्य होंगे— 1. सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी 2. सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता 3. औ० क्षे० अनुभाग, मुख्यालय के अधिकारी(निम्नलिखित विवरण के अनुसार) 4. वित्त नियंत्रक अथवा उनके प्रतिनिधि के रूप सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के लेखाधिकारी
6. किसी भी क्षेत्रफल के एकल आवासीय भूखण्डों के आवंटन के हस्तांतरण, पुनर्गठन, आवंटी की मृत्यु के पश्चात् वारिसानों के पक्ष में भूखण्ड का नियमितीकरण तथा क्षेत्रफल में वृद्धि का नियमानुसार नियमितीकरण, देयों का	-तदैव-
8. वर्गमी० तक क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखण्डों ितथा 500 वर्गमी० तक क्षेत्रफल के 1 व्यवसायिक / फैसिलिटी हेतु आवंटित भूखण्डों 2 के भवन मानचित्र का अनुमोदन। 3	—तदैव— तेत्रीय स्तर पर गठित समिति जिसके सदस्य नम्नवत् होंगे— 1. एटीपी अनुभाग के प्रभारी / अधिकारी 2. सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रवन्धक / परियोजना अधिकारी 3. सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता 4. क्षे० कार्या० में एटीपी अनुभाग के अधिकारी / कर्मचारी, यदि तैनात हों 5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता

उपरोक्त क्र0 सं0 5, 6 व 7 हेतु क्षेत्रीय स्तर पर गठित समिति में औ0 क्षे0 अनुभाग, मुख्यालय के निम्नवत् सदस्य होंगे तथा बैठक का दिन एवं स्थान निम्नानुसार रहेंगे--

निम्नवत् सदस्य होगे रावा पर्वा स्वापित में औ० क्षेत्रीय कार्यालय का सिमिति की बैठक की तिथि					
क्र0 सं0	समिति में औ0 क्षी0	diala diala	**************************************		
0 pt 10	अनुभाग, मुख्यालय के	नाम		415	
	सदस्य का नाम	- Armend	द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार(पूर्वान्ह)	गाजियाबाद	
1	श्री डी0 के0 गर्ग,	गाजियाबाद	1 H		
	प्रभारी(औ०क्षे0)	सूरजपुर / ईपीआईपी	द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार(अपरान्ह)	सूरजपुर	
	3.11(1(0110410)		प्रथम एवं तृतीय सोमवार	लखनऊ	
	Train (1) 47 47	लखनऊ			
	3.4	कानपुर	प्रथम एवं तृतीय बुधवार	कानपुर	
,		411.3	A STATE OF THE STA		



2.	श्री हिमाँशु मिश्र,	अलीगढ	प्रथम एवं तृतीय सोमवार	अलीगढ
	प्रबन्धक	फैजाबाद	द्वितीय एवं चतुर्थ शुक्रवार	में अवस्त /
		गोरखपुर	-तदैव	गोरखपुर
3.	श्री विनोद कुमार,	आगरा	प्रथम एवं तृतीय सोमवार	आगरा
	प्रबन्धक	इलाहाबाद	द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार	. इलाहाबाद /
		वाराणसी	–तदैव– .	वाराणसी
4.	श्री आशीष नाथ,	झॉसी	प्रथम एवं तृतीय सोमवार	डॉर्सी
	प्रबन्धक	मेरठ	द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार	मेरत
5.	श्री राकेश झा,	वरेली	प्रथम एवं तृतीय सोमवार	क्रेली/
	उप प्रबन्धक	एसईजेड, मुरादाबाद	–तदैव–	मुरादाबाद
	4	ट्रोनिका सिटी	द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार	द्रोनिका
	. 2		• / /	सिटी

मुख्यालय से नामित अधिकारियों का दायित्व होगा कि-

- 1. जिन मामलों को आवश्यक समझें जनके स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे तदोपरान्त समिति आवश्यक कर्णवाही करेगी।
- समिति के अधिकारी उपिरथत उद्यमियों से वार्ता भी करेंगे। उद्यमियों की शिकायतों को सुनकर मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित करेंगे तथा जिन मामलों में मुख्यालय के निर्देश प्राप्त करने आवश्यक हों उनमें मुख्यालय से आदेश प्राप्त कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे।
- 3. क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय की कार्यप्रणाली की पारदर्शिता तथा संवेदनशीलता की स्थिति उद्यमियों आदि से ज्ञात कर मुख्यालय को इस सम्बन्ध में रिपीट देंगे। उनके द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में रखे जाने वाले शिकायत रिजस्टर का भी निरीक्षण कर मुख्यालय को उसका विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। मुख्यालय के अधिकारी किसी कार्मिक की शिकायत प्राप्त होने पर इसकी भी त्वरित जॉच हेतु अधिकृत होंगे। मुख्यालय के अधिकारी भ्रमण के दौरान उद्यमियों से भेंट कर उनसे क्षेत्रीय कार्यालय की कार्यप्रणाली / पारदर्शिता तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जानकारी भी करेंगे।
- 4. क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में किये गये भूखण्ड आवंटन, हस्तांतरण, मानवित्र स्वीकृति, आवंटियों का भूखण्ड पर भौतिक कब्जा, औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था तथा उद्योगों के निर्माण एवं उत्पादनरत होने के सम्बन्ध में भी समीक्षा कर मुख्यालय को बिन्दुवार आख्या देगें।

क्षेत्रीय प्रबन्धकों का यह दायित्व होगा कि-

- 2. सिमिति की बैठक की दिनांक के पूर्व प्राप्त सभी प्रकरण समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे इसमें pick & choose न किया जाये। उक्त क्षेत्रफल से अधिक के प्रकरण पूर्ण आवेदन प्राप्ति के वर दिना क अन्दर मुख्यालय निर्णयार्थ प्रेषित किये जायेंगे।
- 3. क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा यथासम्भव यह प्रयास किया जायेगा कि स्वीकृतियाँ जारी होने के उपसन्त स्वीकृति आदेश एवं मानचित्र विशेष पत्रवाहक/पंजीकृत डाक/स्वीड पोस्ट द्वारा उद्यमियाँ के पते पर प्रवित किये जायें जिससे कि उद्यमीगणों को इसके लिये क्षेत्रीय कार्यालय में न आगा पड़े। इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से भी उद्यमियों से सीधे सम्पर्क कर उपरोक्त के क्रियान्वयन की जानकारी ली जायंगी।

अधिशाषी अभियन्ताओं का यह दायित्व होगा कि-

1. खण्डीय कार्यालयों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में जो भी निर्माण एवं अनुख्कण कार्य किये जा रहे हैं उनकी पूरी जानकारी अधिशाषी अभियन्ता, सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से उपलब्ध करायेंग ताकि क्षेत्रीय प्रबन्धक भी उसकी जानकारी उद्यमियों/उद्यमी संघों को दे सके एवं उद्यमी/उद्यमी संघ स्वलीय निरीक्षण भी कर सकें।

इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि चूँकि आवंदित भूखण्डों पर उद्योगों की स्थापना के बजाय समय विस्तारण की प्रवृत्ति में वृद्धि अनुभव की जा रही है। अतः इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने तथा गुज-दोष के आधार पर विचार कर केवल उन्हीं मामलों में विशेष परिस्थितियों में समय विस्तारण की अनुभित प्रदान करने जिनमें यह आवश्यक पाया जाए कि समय वृद्धि विशेष परिस्थितियों में किया जाना अपरिहार्य है, के प्रयोजन से यह आदेशित किया जाता है कि समय विस्तारण के सभी मामलें क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त होने के उपरान्त चीन दिन के अन्दर निगम मुख्यालय स्थित औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग को सुसंगत अभिलेखों सिहत अग्रसारित कर दिये जायेंगे, जिनका परीक्षण संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, वित्त नियंत्रक, विष्ठ प्रबन्धक(औद्योगिक क्षेत्र), प्रभारी(ए०टी०पी०) तथा प्रमारी मुख्य अभियन्ता की समिति द्वारा किया जायेगा, जो प्रत्येक प्रकरण का गुण—दोष के आधार पर परीक्षण करेगी तद्योगरान्त संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के हस्ताक्षर से यथा स्थिति स्वीकृति / निरस्तीकरण आदेश निगंत किये जायेंगे।

(मोहम्मद इप्तेखारूद्दीन) प्रबन्ध निदेशक

324 - 328 /एसआईडीसी/आईए/एचओ/Diruchion ह) - द दिनांक 11 5 12

- वैयवितक सहायक, प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निवेशक, उठ प्रठ औठ विठ निठ लिठ, गुख्यालय, कानपुर।
- सिित के सदस्यों को, उ0 प्र0 रा0 औ० वि0 नि0 लि0, मुख्यालय, कानपुर।
- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक, उठ प्रठ राठ औठ विठ निठ लिठ,.....
- 4. समरत अधिशाषी अभियन्ता, सिविल एवं विद्युत खण्ड, उ० प्र० रा० औ० वि० नि० लि०,.....
- समस्त अधिकारी / कर्मचारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।

an